भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1390

जिसका उत्तर गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

**न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा**

**1390 श्री अनिल देसाई :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी न्यायालयों में वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) क्या यह सुविधा कट्टर अपराधियों और आतंकवादियों को भी प्रदान की जाती है; और

(ग) इस संबंध में न्यायाधीशों, वकीलों आदि जैसे हितधारकों की अनुक्रिया या प्रतिक्रिया क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**( श्री किरेन रीजीजू )**

**(क) से (ग)** : ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 के दौरान, तालुका स्तर के न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों को एक-एक वीडियो कान्फ्रेंस उपस्कर प्रदान किए गए हैं और 14,443 न्यायालय कक्षों में अतिरिक्त वीसी उपस्कर के लिए निधियां स्वीकृत की गई हैं । 2506 वीसी केबिनों को स्थापित करने के लिए निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं । 1500 अतिरिक्त वीसी अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गई हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के मध्य वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा भी समर्थित की गई है जो कट्टर अपराधियों और आतंकवादियों सहित सभी विचाराधीन कैदियों के लिए उपयोगी है । जबसे कोविड लाकडाउन प्रारंभ हुआ है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों ने 30.04.2022 तक कुल 1.94 करोड़ आभासी सुनवाई की है जिसके के कारण यह आभासी सुनवाई में विश्व में अग्रणी बन गया है । वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी सुनवाई के सभी

हितधारकों अर्थात् विकीलों, मुवक्किलों और न्यायाधीशों के लिए  बहुत सारे लाभ हैं जैसे :

- वकील और मुवक्किल अपने पंसद के किसी भी स्थान से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं ।
- साक्षियों को पेश करना आसान हो जाता है क्योंकि वे अपने सुरक्षित स्थानों पर हो सकते हैं ।
- समय और धन की काफी बचत होती है ।
- वकील अल्प सूचना पर विभिन्न स्थानों से सुनवाई में भाग ले सकते हैं ।
- विचाराधीन कैदियों की आवाजाही बहुत ही सस्ते और सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है ।

**********